



कॉरोना  
अति आवश्यक

## कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सिडेन्ट कमांडर), बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता :- उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप ; ईमेल :- [sdmbap-jod-rj@nic.in](mailto:sdmbap-jod-rj@nic.in) ; संपर्क सूत्र :- 02921-277050


क्रमांक: आपदा प्रबंधन/कोरोना/2020/331

दिनांक: 20/11/2020

—: आदेश :—

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत धामटों का बास, बाप व उसके परितः क्षेत्र जिसका प्रत्याख्यान संलग्न सूची में अंकित किया गया है, नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zone) होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) घोषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में आदेश दिये जाते हैं कि :-

1. इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार के गैर अनुमतकारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे।
2. इस क्षेत्र का कोई भी निवासी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा।
3. अत्यावश्यक सेवा के लिए क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति/बाहर से जाने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने को अनुमत होंगे। परंतु वो पूर्ण सोशियल डिस्टेंसिंग व डिसइंफेक्शन का ध्यान रखेंगे, परंतु ऐसी अनुमति अपरिहार्य होने पर ही दी जाएगी। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
4. इस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित हैं को सामान्यतः से बाहर स्थित कार्यालय या सेवा क्षेत्र में उन्हे कार्य में नहीं लिया जावे। अत्यावश्यक होने पर ऐसी राजकीय/निजी संस्था के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे कार्मिक के रहवास का प्रबंध ऐसे क्षेत्र के बाहर ही करवाएं ताकि ऐसे व्यक्ति को पुनः प्रतिषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाना पड़े।
5. गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019/दिनांक 22.03.2020 के आदेश के विन्दु संख्या 2 व 3 के तहत अनुमत गतिविधियां, बाद विशेष अनुमति ही संचालित की जा सकेगी एवं ऐसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही दी जा सकेगी।  
उक्त क्षेत्र के अतिरिक्त अन्यत्र पूर्व में जारी आदेश प्रवृत्त रहेंगे। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रवृत्त रहेगा।  
संलग्न- उक्तानुसार।


  
(महावीर सिंह)  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,  
(इन्सिडेन्ट कमांडर-कोविड 19),  
बाप (जोधपुर)

क्रमांक: आपदा प्रबंधन/कोरोना/2020/ 332 - 341

दिनांक: 20/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, जोधपुर।
2. श्रीमान अति. जिला कलक्टर, फलोदी।
3. श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, फलोदी।
4. पुलिस उप अधीक्षक फलोदी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करते हुए मेडिकल टीम के साथ आवश्यकतानुसार मय पुलिस जाब्ता के चिकित्सक दल को कार्यवाही करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
5. विकास अधिकारी प.स.बाप को भेजकर लेख है कि प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर सप्लाई आवश्यकतानुसार पूर्ण हाईजीन प्रोटोकॉल के साथ करना सुनिश्चित करें।
6. तहसीलदार, बाप को भेजकर लेख है कि आप उक्त कार्यवाही की प्रभावी मानिट्रिंग करे व समय समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्थिति से अवगत करावे।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाप तत्काल पर्याप्त संख्या में टीम तैनात कर डोर टू डोर सर्वे करावे। साथ ही हाईजीन के सदर्थ में प्रभारी हाईजीन सेल का सहयोग लेते हुए आवश्यक विसंक्रमण करावे।
8. थानाधिकारी, बाप को देकर लेख है कि प्रतिषिद्ध क्षेत्र के चारों ओर आवश्यकतानुसार बेरिकेटिंग, निगरानी जाब्ता एवं अन्य सभी निर्देशों की पालना करावे।
9. सम्बन्धित सेक्टर अधिकारी (कोविड-19)को देकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को कार्य सम्पन्न करने में सहयोग प्रदान करें तथा अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों का प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट से अवगत करावे।
10. रक्षित पत्रावली।

  
(महावीर सिंह)  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,  
(इन्सिडेन्ट कमांडर-कोविड 19),  
बाप (जोधपुर)



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सिडेन्ट कमांडर), बाप (जोधपुर)


कार्यालय का पता :- उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप ; ईमेल :- [sdmbap-jod-rj@nic.in](mailto:sdmbap-jod-rj@nic.in) ; संपर्क सूत्र :- 02921-277050

क्रमांक: आपदा प्रबंधन/कोरोना/2020/ 342

दिनांक: 20/11/2020

-:: संलग्न नक्शों के अनुसार परितः क्षेत्र विवरण ::-

धामटों का बास, बाप

  
(महावीर सिंह)  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,  
(इन्सिडेन्ट कमांडर-कोविड 19),  
बाप (जोधपुर)